

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

सं०सं०-1/उद्योग स्थापना (प्रतिनियुक्त)-05-04/17

आदेश

उद्योग निदेशालय के आदेश ज्ञापांक-446 दिनांक-21.01.19 द्वारा श्रीमती संगीता कुमारी, निम्नवर्गीय लिपिक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली की कार्यहित में प्रतिनियुक्ति उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना में की गई थी जिसे स्वास्थ्य कारणों के आधार पर रद्द किया जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह०/-
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक

/पटना, दिनांक

सं०सं०-1/उद्योग स्थापना (प्रतिनियुक्त)-05-04/17

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना/वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक

/पटना, दिनांक

सं०सं०-1/उद्योग स्थापना (प्रतिनियुक्त)-05-04/17

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली/उप विकास पदाधिकारी, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना एवं संबंधित कर्मी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक

1293

/पटना, दिनांक

08.03.19

सं०सं०-1/उद्योग स्थापना (प्रतिनियुक्त)-05-04/17

प्रतिलिपि:- आई०टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह०/-
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।